

न्यायालय सप्लाइ ऑफिसर का कार्यालय, जिला बारां

क्रमांक 6/25

दिनांक 17.09.2025

निर्णय :-

प्राची श्री राम जानकी पुत्र जुद्ध कर्मा राम प्रसाद न पटवारी
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गोडियास में तहसीलदार गणेश गुवा (बेड) जिला बारां
 जिला बारां की चालू जमावंदी संपत्ति 107 के खाता संख्या 107 में खातेदार/गैरखातेदार का
 नाम/जानि राम जानकी अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है जिसे सम्मानजनक रूप से
जानकीबाई अंकित किया जावे। प्राची के आवेदन पत्र की जाच पटवारी गुवा (बेड)
 से करवाने पर पटवारी ने राम प्रसाद के बजाय जानकीबाई
 करना उचित बताया। तहसीलदार गणेश ने भी उक्त स्थान में राम प्रसाद
 के बजाय जानकीबाई करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान ग्रामजमा अधिनियम 1956
 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (शु अशिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
 ग्राम गोडियास के खाता संख्या 107 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जानि राम प्रसाद
जानकीबाई के स्थान पर सम्मानजनक रूप से जानकीबाई दर्ज कराने का
 आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गणेश तदनुसार न्याय रिक्वाइस्ट में दुरूस्ती करे।

सप्लाइ अधिकारी
 (Land Record Officer)
 जिला बारां
 जिला बारां